# प्रवेशार्थी निर्देशिका

## 2018–19

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों एवम् संस्थानों में प्रभावी होगा।

(प्रवेश नियम, उपस्थिति तथा शैक्षणिक कलैण्डर)

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल,

उत्तराखण्ड– 249199

# आमुख(**Preface**)

हम ''श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की समस्त शुभकामनाओं और शुभेच्छाओं के साथ नवीन सत्र 2018–19 में समस्त निदेशकों, प्राचार्यो, शिक्षकों, छात्र–छात्राओं तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का हार्दिक अभिनन्दन करते है।''

भूमण्डलीकरण के दौर में सूचना का तकनीक आधारित वैश्विक परिदृश्य पर निरन्तर आहट देता हमारा विकासमान विश्वविद्यालय विकट परिस्थितियों के बावजूद भी प्रगति के नवीन सोपानों को सत्त पार करता आ रहा है और इस महायज्ञ की रीढ़ हमारे उद्वीयमान विद्यार्थी है। विषम भौगोलिक परिस्थियों तथा विकट आर्थिक समस्याओं के बीच रहकर भी हमारे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को अनेक उपलब्धियों से गौरान्वित कर रहे है। वस्तुतः यही हमारे आनन्द और निरन्तर विकास का कारण भी है।

विश्वविद्यालय के स्थापना वर्षो से ही विश्वविद्यालय के क्षेत्र विस्तार तथा संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से कार्य–प्रबन्धन में अनेक चुनौतियॉ सामने आयी है, किन्तु सहयोग के सामूहिक कदमों ने इन बाधाओं को आसानी से दूर भी किया है तथा अपनी अर्थपूर्ण भूमिका का स्वच्छ रूप से निर्वाहन करते हुये अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया है। व्यक्तिगत परीक्षाओं के सफल संचालन के साथ–साथ परम्परागत विषयों, व्यावसायिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ करके विद्यार्थियों को सीधे–सीधे रोजी रोटी से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए कैरियर काउन्सलिगं एंव प्लेसमेंट सेवा उपलब्ध करना हमारा मुख्य उद्देश्य है ताकि विषय–चयन से लेकर रोजगार प्राप्ति तक उसे दिशा–निर्देश दिये जा सके।

शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर पर गुणात्मक तथा त्वरित कार्यप्रणाली विकसित करते हुये ई–लर्निग तथा ई–गवर्नेन्स की पहल की जा रही है। शोध के नवीन सोपान विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। सामान्य तथा अनुसूचित वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा के साथ–साथ शैक्षणिक तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों मे उत्कृष्ट उपलब्धियॉ प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाना भी हमारा मुख्य लक्ष्य है।

मूलतः हमारे विश्वविद्यालय की संपदा हमारे विद्यार्थी है, इनके उन्नत व्यक्तित्व निर्माण का सम्पूर्ण दायित्व हमारा है, क्योंकि यही वह तन्तु है जिससे हम सभी की आत्मा का निर्माण होता है। हम आह्वान करते है कि आइए और तन–मन–धन से इस अमूल्य निधि का संरक्षण करें ताकि भावी राष्ट्र का समुन्नत विकास हो। इसे ऐसी प्रेरणा दे, जिससे ज्ञान की दिव्यता सृष्टि को चमत्कृत करे दें, साथ ही अपने प्रिय छात्र–छात्राओं से भी आशा करते है कि वे अपने अनुशासित व्यवहार से सदैव इस नवजात विश्वविद्यालय की गरिमा को सुरक्षित रखें क्योंकि आपका मर्यादित आचरण ही हमारें सपनों की आधारशिला है।

पुनः प्रतिबद्धता और संकल्पों की पुनरावृत्ति के साथ हम सभी के प्रयास ईमानदारी से गतिमान रहेंगें। इसी आशा, विश्वास, और प्रतिश्रुति के आलोक में हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते है।

(डॉ0 दीपक भट्ट),
कुलसचिव,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी (टि0ग0)

# सन्देश

चहुंमुखी शैक्षणिक विकास की ओर अग्रसर श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के सभी सम्बद्ध राजकीय /अशासकीय महाविद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षकों, शिक्षार्थियों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सत्र 2018–19 में हार्दिक अभिनन्दन है। स्थापना वर्ष से विषम भौगोलिक विषमता, आर्थिक सीमाओं तथा सीमित संसाधनों के बावजूद छात्र–छात्राओं के शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर विकास में विश्वविद्यालय निरन्तर प्रयासरत है। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। गत वर्षों में जहां एक ओर विश्वविद्यालय के छात्र संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से प्रबन्धन तथा अन्य क्षेत्रों में चुनौती बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर यह भी कम सराहनीय नहीं है कि सभी के सहयोग से विश्वविद्यालय ने अपनी अर्थपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। सम्बद्ध राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों एवं संस्थानों में परम्परागत विषयों के संचालन के साथ–साथ अनेक नये एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गये है।

छात्र मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र की मूल्यवान सामाजिक पूंजी है। अतः विश्वविद्यालय तथा सभी सम्बद्ध राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों एवं संस्थानों का दायित्व है कि प्रभावी प्रणालियों एवं प्रेरणात्मक वातावरण के माध्यम से छात्र–छात्राओं में पहले से विद्यमान पूर्णता और दिव्यता के प्रगटीकरण में सहयोग दें।

पुनः प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ छात्रों के भविष्य और चारित्रिक सुदृढ़ीकरण में हमारे साझे प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे, इसी आशा व विश्वास के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

(डॉ॰ यू॰एस॰ रावत)
कुलपति

# श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी (टि0ग0): सक्षिप्त परिचय

## उद्भव एवं विकास

हिमालय की गोद में भिलंगना एवंम् भागीरथी घाटी पर स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 357/XXXVI(3)/2011/57(1)/2010 की अधिसूचना द्वारा यहॉ के निवासियों एवम् जनप्रतिनिधियों के लम्बे संघर्ष से पं0 दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम से दिल्ली–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थिति चम्बा शहर से 03 किमी0 की दूरी एवम् नई टिहरी मुख्यालय से 08 किमी0 की दूरी पर स्थापित किया गया जिसे उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 270/XXXVI(3)/2012/48(1)/2012, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी किया गया।

## उद्देश्य और स्वरूप

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का उद्देश्य जहॉ राज्य के गढ़वाल परिक्षेत्र के सात जिलों (टिहरी, पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून तथा हरिद्वार) को अपने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक एवम् शैक्षिक विकास में सहयोग देना है, वहीं क्षेत्र की बहुपक्षीय आकाक्षाओं को मूर्त रूप देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय का मौलिक कार्य ज्ञान का अर्जन, प्रचार–प्रसार करना है। उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ–साथ विश्वविद्यालय को यहॉ की चुनौतियों का सामना एवम् समस्याओं का समाधान करना भी है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय का एक परिसर तथा विश्वविद्यालय से 50–राजकीय महाविद्यालय, 109 स्ववित्त पोषित संस्थान सहित कुल 160 महाविद्यालय एवं स्ववित्त संस्थान सम्बद्ध है।

# सूची–(Contents)

## विषयानुक्रम


विवरण पृष्ठ संख्या

1. विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय
2. विश्वविद्यालय के अधिकार
3. शैक्षणिक कैलेण्डर
4. प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश
5. प्रवेश नियम सत्र 2018–19
6. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण
7. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण
8. संकायों का विवरण
9. वार्षिक एवं मासिक शुल्क विवरण
10. परीक्षा एवं अन्य शुल्क का विवरण
11. उपस्थिति नियम
12. अनुशासन
13. परिचय पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र
14. छात्रों के विकासोन्मुखी पाठ्यान्तर कार्यक्रम
15. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालय एवम् संस्थान
16. विश्वविद्यालय के अधिकारी

# शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2018–19

| | |
|---|---|
| आवेदन पत्र वितरण प्रारम्भ की तिथि | 18 जून 2018 |
| शैक्षिक सत्र आरम्भ की तिथि | 2 जुलाई 2018 |
| विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश (सेमेस्टर पाठ्यक्रम)<br>1. बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की तिथि<br>2. बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि<br>3. शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि | <br>2 जुलाई 2018 से 20 जुलाई 2018 तक<br>31 जुलाई 2018<br>01 अगस्त 2018 |
| बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम द्वितीय/ तृतीय वर्ष (वार्षिक पाठ्यक्रम) कक्षाओं में प्रवेश लेने की तिथियां<br>1. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि<br>2. प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि<br>3. शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि | <br>परीक्षा के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि से दस दिनों के अन्तर्गत<br>प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के तीन दिन के अर्न्तगत<br>01 अगस्त 2018 |
| सेमेस्टर पाठ्यक्रम<br>1. विषम सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि<br>2. विलम्ब शुल्क रू0 500/– सहित जमा करने की अन्तिम तिथि<br>3. विषम सेमेस्टर पाठ्यक्रम अवधि<br>4. परीक्षा तिथि<br>5. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि<br>6. महाविद्यालय से विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि | <br>15 सितम्बर 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक<br>07 अक्टूबर 2018<br>01.08.2018 से 30.11.2018<br>3.12.2018 से प्रारम्भ<br>08 अक्टूबर 2018<br>10 अक्टूबर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक |
| सम सेमेस्टर<br>1. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि<br>2. विलम्ब शुल्क रू0 500/– सहित जमा करने की अन्तिम तिथि<br>3. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि<br>4. महाविद्यालय से विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि<br>5. पाठ्यक्रम अवधि<br>6. परीक्षा तिथि | <br>15 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक<br>7 अप्रैल 2019 तक<br>08 अप्रैल 2019<br>10 अप्रैल 2019 से 15 अप्रैल 2019 तक<br>21 जनवरी 2019 से 04 मई 2019 तक<br>6 मई 2019 से प्रारम्भ |

| | |
|---|---|
| संस्थागत / व्यक्तिगत वार्षिक परीक्षा (2018–19) | |
| 1. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र प्रारम्भ की तिथि | 21 दिसम्बर 2018 |
| 2. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि | 05 जनवरी 2019 |
| 3. विलम्ब शुल्क रू0 500 सहित जमा करने की अंतिम तिथि | 11 जनवरी 2019 |
| 4. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि | 15 जनवरी 2019 |
| 5. महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि | 25 जनवरी 2019 |
| प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा | |
| 1. विषम सेमेस्टर प्रारम्भ तिथि | 20.11.2018 से |
| 2. सम सेमेस्टर प्रारम्भ तिथि | 20.04.2019 से |
| 3. वार्षिक पाठ्यक्रम परीक्षा | 10.04.2019 से |
| मुख्य परीक्षा (वार्षिक पाठ्यक्रम) | |
| 1. परीक्षाओं की मुख्य लिखित परीक्षा प्रारम्भ की तिथि | 06 मई 2019 |
| वार्षिक अवकाश तथा कार्य दिवस का विवरण – | |
| 1. रविवार | 52 दिन |
| 2. सार्वजनिक / निर्बन्धित / स्थानीय / विवेकाधीन | 26 दिन |
| 3. शीतकालीन अवकाश | 01 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक (कुल 20 दिन) |
| 4. ग्रीष्मावकाश | 6 जून 2019 से 06 जुलाई 2019 तक (कुल 31 दिन) |
| 5. विश्वविद्यालय स्थापना दिवस | 04 नवम्बर 2018 (01) |
| 6. श्रीदेव सुमन जन्म दिवस | 25 मई 2019 (01) |
| 7. कुल अवकाश | 124 |
| 8. सम्पूर्ण दिवस | 365 |
| 9. कार्य दिवस | 241 |
| 10. शिक्षण कार्य दिवस | 189 |

(डॉ0 दीपक भट्ट)
कुलसचिव
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड उत्तराख्ण्ड विश्वविद्यालय
राज्य विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

# प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

# (Important Instruction for Admission)

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र(टी0सी0)/माइग्रेशन सार्टिफिकेट मूल रूप से लगानी आवश्यक है।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाओं तथा खेल एवम् अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक है।
4. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम् स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ(रंगीन) को उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
5. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत विषय परिवर्तन पर किया जा सकता है।
6. प्रत्याशी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क, छः माह का शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क आदि जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य/निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
8. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों को बिना कारण बतायें किसी भी आवेदक को प्रवेश लेने हेतु मना कर सकता हैं या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
9. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
10. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिको के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
12. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण प्त्रों पर ही प्रवशे समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
13. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

# प्रवेश नियम सत्र 2018–19

# (Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए महाविद्यालय/संकाय में सम्बन्धित प्राचार्य/संकायाध्यक्ष प्रवेश समितियों का गठन करेगें, जो अलग–अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यो का दायित्व पूर्ण करेगें। तत्–तत् संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
2. समितियों की विधिवत् गठन की सूचना प्राचार्य/संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
3. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवम् वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवम् स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडें वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या–1144/क्रामिक–2–2001–53(1)/2001 द्वारा निर्धारित निति के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत् है।

अनुसूचित जाति– 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति– 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग– 14 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से हारिजेन्टल आरक्षण देय होगाः महिला– 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक– 05 प्रतिशत, दिव्यांग– 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित– 02 प्रतिशत। आराक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।

उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगें। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेगें कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

5. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, वशर्ते कि उन्होने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
6. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।
7. स्नातक/स्नातकोस्तर कक्षाओं/विषयो में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
8. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियंन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर के अभ्यार्थी तथा बी0कॉम0 एवं

बी0एस0सी0 के द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यार्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें, जो कि उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

10. प्रवेश आवेदन–पत्र पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण–पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छाया चित्र एवंम् प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
12. बी0एड0 में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर मैरिट अंकों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश की अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।
13. एम0एड0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को हाई स्कूल से लेकर बी0एड0 तक की सभी कक्षाओं में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
14. इन्दिरा गॉधी मुक्त विश्वविद्यालय से बी0एड0 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें एम0एड0 में प्रवेश हेतु अर्ह है।
15. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप–आउट भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हों।
16. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा अर्थात व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र उक्त अवधि के पश्चात भी अध्ययनरत रह सकते है। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होनें पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।
18. जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
19. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी छात्र ने एम0ए0 अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, और न ही वह किसी संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
20. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा।
21. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें।
22. प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा। 15 दिन के भीतर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी।
23. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
24. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेगें उनकी सूचना समय–समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी, इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें।

25. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
26. यदि किसी छात्र ने बी0कॉम/बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी0कॉम/बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एम0कॉम/एम0ए0 के लिए भी व्यक्तिगत प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
27. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
28. शैक्षिक कलैण्डर सभी महाविद्यालयों/संस्थानों पर एक समान रूप से लागू होगा।
29. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
30. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
31. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा और कानून के दायरे में आ जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।
32. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस समय अन्तराल का शपथ–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
33. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
34. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।
35. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
36. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

# स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश देंगे।
2. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट या प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जायेंगे, जो महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करायेंगे। वे विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई अन्तिम तिथि से पहले सारी औपचारिकतायें पूरी कर छात्रों को निम्न मानकों के अनुसार प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे।
3. (I) प्रवेश परीक्षा प्राप्ताकों का 60 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्ताकों का 40 प्रतिशत जोड़कर कर योग्यता सूची बनाई जायेगी।

   (II) प्रवेश परीक्षा का आयोजन न होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जयेगें। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी।
4. उक्त दोनो स्थितियों में अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आवंटित कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जाय।

   (I) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होगें।

   (II) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक, (अधिकतम 5 अंक)

   (III) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)

   (IV) स्काउट में पद सोपान–1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान–3 धारक को 2 अतिरिक्त अंक देय होगे, निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 3 अंक देय होंगे (अधिकतम 5 अंक)

नोटः– उपरोक्त प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में सात अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

(VI) सेना में कार्यरत सैनिकों एंव केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को 3 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

व्यवसायिक विषय जैसे एम0एड0/बी0एड0 विषयों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय करेगा जिसकी तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।

नोटः– 1. अधिकतम देय अंक 15 ही होगें।

2. विश्वविद्यालय स्तर पर जिन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी उनके प्रवेश नियमों एवम् तिथियों को अलग से प्रकाशित/प्रचारित किया जायेगा।

# स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. एम0एससी0(विज्ञान एवं कृषि संकाय में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होगें)
   कला, वाणिज्य एवं शिक्षा संकायों की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम् अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की बी0ए0/बी0कॉम0 परीक्षा में उत्तीर्ण 40 प्रतिशत अंक होगें। अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
   स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का निर्धारण सम्बन्धित संकाय अध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद ही किया जायेगा।
2. बी0एससी0/बी0कॉम/बी0एड0 में उत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय में एम0ए0 प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होगें।
3. प्रयोगात्मक विषय में केवल उन्हीं विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र ने बी0एससी0 अथवा प्रयोगात्मक विषयों के साथ बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ा हो।
4. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः
   (अ) सूचकांक= ( x /X + y/Y) ×100
   यहॉ x = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के प्राप्तांकों का योग,
   यहॉ X = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के पूर्णांकों का योग,
   y= स्नातक के तीनों वर्षो के प्राप्तांकों का योग
   Y= स्नातक के तीनों वर्षो के पूर्णांकों का योग

   (ब) अतिरिक्त अंकों की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।
   i- आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो पॉच अंक एवम् श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक को तीन अंक।
   ii- अन्तर विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को पॉच तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक को सात अंक देय होगें, विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर दो अंक देय होगे।
   iii- एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को पांच अंक।
   iv- राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को पांच अंक (अधिकतम 5 अंक)
   v- सेना में कार्यरत सैनिकों एवम् केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों(पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को दो अतिरिक्त अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।
   vi- विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री) एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता–पिता, पति–पत्नी कार्यरत हो को पांच अतिरिक्त अंक देय होगें।
   5–व्यक्तिगत परीक्षा के पश्चात छात्र यदि बी0ए0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0कॉम0 द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत प्रवेश लेना चाहता है तो उसे अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है।

   (नोटः– उपरोक्त 'ब' के अन्तर्गत अधिकतम देय अंक 15 ही होगे)।

# विज्ञान संकाय **(Faculty of Science)**

## बी0एससी0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम

बी0एससी0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गो में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अर्थात गणित संवर्ग(गणित, रसायन, भौतिक) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग(वनस्पति, रसायन, जन्तु) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राणी विज्ञान संवर्ग के विषय अनुवर्ग ही अनुमन्य होगें। अभ्यर्थी वरीयता क्रम में अपने संवर्ग में तीन विषय, प्रवेश आवेदन–पत्र पर अंकित करेंगे। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित अनुवर्ग विषय अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा।

निम्न अनुवर्ग विश्वविद्यालय के सभी परिसर एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों पर उनके यहॉ उपलब्ध विषयों के अनुरूप लागू होगें।

### गणित संवर्ग

- भौतिकी–गणित–रसायन
- भौतिकी–गणित–सांख्यिकी
- भौतिकी–गणित–भू–विज्ञान
- भौतिकी–गणित–रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
- भौतिकी–गणित–भूगोल
- अर्थशास्त्र–गणित–सांख्यिकी
- भौतिकी–रसायन–भूविज्ञान
- भूगोल–भूगर्भ–रसायन

### प्राणि विज्ञान संवर्ग

- वनस्पति–जन्तु–रसायन
- वनस्पति–रसायन–भूविज्ञान
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–मानव विज्ञान
- वनस्पति–जन्तु विज्ञान–भू विज्ञान
- जन्तु विज्ञान–रसायन–भू विज्ञान

### गृह विज्ञान संवर्ग

- अर्हता इन्टरमिडियट जीव विज्ञान से उत्तीर्ण छात्र–छात्रा ही बी0एस0सी0 गृह विज्ञान में प्रवेश हेतु अर्ह होगें।

# कला संकाय(**Faculty of Art**)

## बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयो में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है।
3. कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकता है किन्तु :
   (i) संगीत एवं चित्रकला के साथ मानव विज्ञान एवं रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विषय का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (ii) गृह विज्ञान के साथ गणित का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iii) संस्कृत के साथ मनोविज्ञान एवम् मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iv) मानव विज्ञान के साथ संगीत, चित्रकला, संस्कृत, दर्शन शास्त्र एवं गृह विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (v) अर्थशास्त्र के साथ संगीत, चित्रकला, मानव विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (vi) भूगोल के साथ संगीत, चित्रकला, इतिहास तथा मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
4. केवल वहीं छात्र–छात्रा चित्रकला का अध्ययन कर सकते है जिन्होनें इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा सम्बन्धित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. केवल वही अभ्यर्थी संगीत विषय ले सकते है जिनका 10+2 में संगीत रहा हो या जिन्होने भारतखण्डे व प्रयाग संगीत समिति से मध्यमा/सीनियर डिप्लोमा/चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। अन्य प्रतिभावान अभ्यर्थी यदि संगीत विषय लेने के इच्छुक हो तो विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष उसकी स्वर परीक्षा लेकर प्रवेश संस्तुत कर सकते है, परन्तु अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहेगे।
6. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते है जिन्होनें इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो।
7. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते है जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
8. रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन विषय का अध्ययन इण्टरमीडिएट विज्ञान/कला/वाणिज्य अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र कर सकते है।
9. गणित के साथ मात्र सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय ही लिये जा सकते है।

# वाणिज्य संकाय**(Faculty of Commerce)**

## बी0कॉम0 तथा एम0कॉम0 प्रवेश हेतु नियम

1. बी0काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होनें,
   (i) इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
   (ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा अन्य विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो किन्तु इन्हें क्वालीफाइंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।
2. एम0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो निम्न लिखित शर्ते पूरी करते हो,
   (i) बी0कॉम0 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
   (ii) बी0ए0/बी0एससी0 परीक्षा अर्थशास्त्र अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण की हो, किन्तु इन्हें क्वालिफाईगं परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।

# शुल्क विवरण**(Fee Details)**

## वार्षिक शुल्क (परिवर्तनीय)

निम्न सभी शुल्क शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय होगें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | विश्वविद्यालय नामाकंन शुल्क (केवल नये छात्रों के लिए) | – | रू0 100 |
| 2. | वाचनालय शुल्क | – | रू0 25 |
| 3. | निर्धन छात्र सहायता शुल्क | – | रू0 50 |
| 4. | छात्र परिषद/छात्र संघ शुल्क | – | रू0 100 |
| 5. | सांस्कृतिक क्रिया कलाप शुल्क | – | रू0 100 |
| 6. | परिचय पत्र शुल्क | – | रू0 20 |
| 7. | पत्रिका शुल्क | – | रू0 50 |
| 8. | पुस्तकालय शुल्क | – | रू0 50 |
| 9. | विकास शुल्क | – | रू0 100 |
| 10. | प्रवेश शुल्क | | |
| 11. | पुस्तकालय शुल्क | | |
| | (अ) स्नातक कक्षा शुल्क | – | रू0 25 |
| | (ब) स्नातकोत्तर कक्षा शुल्क | – | रू0 35 |
| 12. | पंखा, बिजली, पानी शुल्क | – | रू0 25 |
| 13. | पर्यटन विषय छात्रों के लिए इन्सट्यूशनल शुल्क | – | रू0 75 |
| 14. | परिसर दिवस शुल्क | – | रू0 25 |
| 15. | कैरियर काउन्सलिंग शुल्क | – | रू0 50 |

मासिक शुल्क(वर्ष में दो बार लिया जायेगा)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | बी0एससी0/बी0ए0/बी0कॉम0 | – | रू0 50 प्रतिमाह |
| 2. | एम0एससी0/एम0ए0/एम0कॉम0 | – | रू0 75 प्रतिमाह |
| 3. | बी0एड0/एम0एड0/अनौपचारिक शुल्क | – | रू0 90 प्रतिमाह |
| 4. | टूरिज्म/पत्रकारिता प्रतिमाह | – | रू0 100 |
| 5. | प्रयोगशाला | | |
| 6. | बी0एससी0/बी0एड0 | – | रू0 25 प्रतिमाह |
| 7. | एम0एससी0/एम0ए0 प्रायोगिक विषय | – | रू0 30 प्रतिमाह |
| 8. | बी0ए0 प्रायोगिक विषय | – | रू0 15 प्रतिमाह |
| 9. | बी0कॉम कम्प्यूटर शुल्क(एकाउन्टिगं लेने वाले छात्रों हेतु) | – | रू0 50 प्रतिमाह |
| 10. | विशेष पाठ्यक्रम शुल्क(केवल कृषि संकाय में चार वर्षीय वानिकी एवम् अद्यानिकी स्नातक कक्षाओं हेतु) प्रतिमाह | – | रू0 6000 |
| 11. | क्रीड़ा शुल्क | – | रू0 30 प्रतिमाह |
| 12. | महगाई शुल्क | – | रू0 15 प्रतिमाह |
| 13. | विलम्ब शुल्क | – | रू0 50 प्रतिमाह |

प्रतिभूति शुल्क(जो वापस होगा)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | पुस्तकालय स्नातक(बी0लिब0) | – | रू0 150 |
| (ii) | स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम/एम0फिल0 | – | रू0 200 |

विज्ञान संकाय

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | स्नातक स्तर(प्रति प्रायोगिक विषय) | – | रू0 75 |
| (ii) | स्नातकोत्तर/एम0फिल(कला संकाय) | – | रू0 100 |

अन्य शुल्क

| | | |
|---|---|---|
| (i) स्थानान्तरण शुल्क(TC शुल्क) | – | रू0 20 |
| (ii) डुप्लीकेट शुल्क रसीद | – | रू0 10 |
| (iii) चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क | – | रू0 20 |
| (iv) डुप्लीकेट परिचय पत्र शुल्क | – | रू0 10 |

## शुल्क का लौटाया जाना

1. (अ) वैधानिक वाद्यताओं या किसी अन्य कारण से यदि विश्वविद्यालय किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने मे असमर्थ है तो ऐसे मामलों के अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा चाहे वह कक्षा में उपस्थित रहा हो अथवा न रहा हो प्रदत्त शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
   (ब) अनियमित छात्रों को तीन माह का शुल्क देना होगा।
2. विश्वविद्यालय को किसी भी समय शुल्क में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है चाहे वह शुल्क नवीन छात्रों का हो, अथवा उन छात्रों का हो जो पहले से अध्ययन कर रहे है।

## वार्षिक/सेमेस्टर विवरण

## उपस्थिति नियम**(Rules for Attendence)**

विश्वविद्यालय की बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0, व्यावसायिक एवं स्नात्तकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या– 528(1)15–(उच्च शिक्षा)71/97, दिनांक– 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। विज्ञान अथवा ऐसे अन्य विषयों जिनमें प्रयोगात्मक विषय है शिक्षण कार्य अवधि में 75% उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 6% तक की छूट संकायाध्यक्ष(डीन)/प्राचार्य द्वारा तथा 9% छूट मा0 कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो या
   (ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।
2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूवता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहॉ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन0सी0सी0 शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

नोटः– बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0एससी0/एम0कॉम तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

## महाविद्यालय/संस्थान में समितियों का गठन

छात्र कल्याण **(Student Welfare)**

छात्रवृत्ति **(Scholarships)**

अनुशासन

परिचय पत्र **(Identity Card)**

चरित्र प्रमाण पत्र **(Character Certificate)**

राष्ट्रीय सेवा योजना **(NSS)**

राष्ट्रीय कैडेट कोर **(NCC)**

क्रीड़ा परिषद **(Sport Council)**

संस्कृतिक परिषद**(Cultural Council)**

विश्वविद्यालय सेवा योजना, सूचना एवम् मंत्रणा केन्द्र**(University Employment Information and Guidence Bureau)**

महिला उत्पीड़न निवारण हेतु स्थाई प्रकोष्ट **(Women Cell)**

नोटः उपरोक्त पर कार्यवाही गतिमान है।

## छात्र संघ **(Student Union)**

सत्र 2016–17 से राजकीय महाविद्यालय के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने पर उनमें छात्र संघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या– S.L.P. (Civil) No 24295/2004/दिनांक– 24/06/2004 जो अपर महाअधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनांक– 23/10/2006 द्वारा अधिसूचित एवम् उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं0 184/XXIV(6)/2007–3(168)/2001, दिनांक– 27/02/2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा नियमों के आधार पर छात्र संघ के चुनाव के सम्बंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।

# कला संकाय **(Faculty of Art)**

## बी0ए0 छः सेमेस्टर/तीन वर्षीय पाठ्यक्रम

कला संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है,

1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. संस्कृत 4. इतिहास 5. राजनीतिशास्त्र 6. अर्थशास्त्र
7. रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन 8. गणित 9. मनोविज्ञान 10. समाजशास्त्र 11. गृह विज्ञान
12. सांख्यिकी 13. मानव विज्ञान14. संगीत 15 भूगोल 16. चित्रकला 17. दर्शन शास्त्र
18. पुरातत्व 19. शिक्षा शास्त्र

## अनिवार्य विषयः–

पर्यावरण अध्ययन जिसे प्रथम सेमेस्टर में पूर्ण किया जाना है।

## एम0ए0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, गणित, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, चित्रकला, प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व, भूगोल, शिक्षा शास्त्र।

# विज्ञान संकाय **(Faculty of Science)**

## बी0एससी0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है,

1. भौतिक विज्ञान, 2. रसायन विज्ञान, 3. वनस्पति विज्ञान, 4. जन्तु विज्ञान, 5. भू विज्ञान,
6. गणित, 8. कम्प्यूटर विज्ञान 9. बायोटैक्नोलॉजी 10. गृह विज्ञान 11. माइक्रोबायलॉजी 13. मत्स्य विज्ञान

## बी0एससी0 चार वर्षीय पाठ्यक्रम

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है,

1. कृषि विज्ञान 2. उद्यानिकी 3. वानिकी 4. फूड टैक्नोलॉजी

## एम0एससी0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन, भू विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, मानव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल।

# वाणिज्य संकाय **(Faculty of Commerce)**

## वाणिज्य संकाय

बी0कॉम (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)
एम0कॉम (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

# आचार संहिता

## समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

### खण्ड–1

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश–छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान अथवा ऐसे संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र, अथवा आधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यो में किसी भी प्रकार से बाधा पहुॅचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एवं किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान, अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. विश्वविद्यालय की व्यवस्था के किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थो का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी सशस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
16. विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई के नाम के किसी कार्यक्रम की योजना अथवा किसी संचार या प्रतिवेदन में अनाधिकृत प्रयोग अथवा सम्बन्धित संस्थान अथवा इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत उद्देश्यों से भिन्न मन्तव्यों हेतु प्रयोग।
17. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।

18. कोई ऐसा कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हों।
19. कोई कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के भवनों पर कब्जा।
20. ऐसा कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के कार्यकलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
21. अनाधिकृत कोश संग्रह।
22. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई में प्रविष्ट होना।
23. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
24. कोई अन्य कृत्य जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हों।
25. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
26. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामाग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

## खण्ड–2

## पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

विश्वविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु यू0जी0सी0 के नियम अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश 2009 मार्च तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या– 310/04/एस0आई0ए0, दिनांक– 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित प्रावधान किये है,

1. रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है,

Any disorderly conduct whether by words spoken of written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, including in rawdy or undisciplined acticvites which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm or to raise fear of apprehension thereofin a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall br deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित दण्ड,

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना ।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।

- अपराधिक बल का प्रयोग करना ।
- साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- जबरन वसूली।
- अपराधिक अतिक्रमण।
- सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
- अपराधिक रूप से धमकाना।
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

3. दण्ड,

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है,

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- छात्रावास से निष्कासन।
- निरस्तीकरण।
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरानत अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

## खण्ड–3

### पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण,

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को नियन्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके विश्वविद्यालय का छात्र होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। नियन्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरू(विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन) कार्यवाही की जयेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना नियन्ता कार्यालय को देना होगा तथा नियन्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र नियन्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
2. मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करते समय छात्रों से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। नियन्ता द्वारा अधिकृत रूप

से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को सामान्यतः छात्र/छात्रा का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता हैं लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

## महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। इससे आगे बढ़ते हुये एक विशेष पहल के रूप में महिला छात्राओं में आत्म विश्वास संवर्द्धन हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सैन्य विधाओं एवं योग की कक्षायें आयोजित की जाती है। प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित करता है। यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा महिला छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है तथा महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन निम्नवत् किया गया हैः–

1. श्रीमती स्मृति खण्डूरी, वरिष्ठ वित्ताधिकारी — संयोजक
2. श्रीमती रेखा धनै, डी0ई0ओ0 — सदस्य

## शपथ पत्र का प्रारूप(केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशें को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ–
   - मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी जो रैगिंग के परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   - मैं किसी भी रूप में रैंगिक में लिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी, उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी।
   - मै किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी, अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाऊँगा/पहुचाऊँगी।

हस्ताक्षर..... दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

# माता/पिता/अभिभावक का शपथ पत्र प्रारूप

1. मैं .....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है।
2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हुँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3. मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैगिंग मे लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता

## हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

या

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टी रैगिंग शपथ पत्र हेतु www.amanmovement.org लॉगऑन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग–अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ पत्र को जमा करें।

## श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर

| क्रमांक | महाविद्यालय का नाम | जनपद का नाम |
|---|---|---|
| 1 | श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, गोपेश्वर | चमोली |

## श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सत्र 2018–19 से सम्बद्ध होने वाले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय

| क्रमांक | महाविद्यालय का नाम | जनपद का नाम |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार | पौड़ी |
| 2 | राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल | पौड़ी |
| 3 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल | पौड़ी |
| 4 | राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल | पौड़ी |
| 5 | राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण | पौड़ी |
| 6 | राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा | पौड़ी |
| 7 | राजकीय महाविद्यालय सतपुली | पौड़ी |
| 8 | राजकीय महाविद्यालय रिखणीखाल | पौड़ी |
| 9 | राजकीय महाविद्यालय मजरामहादेव | पौड़ी |
| 10 | राजकीय महाविद्यालय पोखड़ा | पौड़ी |
| 11 | राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भावर | पौड़ी |
| 12 | राजकीय महाविद्यालय उफरेंखाल | पौड़ी |
| 13 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग | चमोली |
| 14 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ | चमोली |
| 15 | राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी | चमोली |
| 16 | राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण | चमोली |
| 17 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी | चमोली |
| 18 | राजकीय महाविद्यालय नन्दासैंण | चमोली |
| 19 | राजकीय महाविद्यालय घाट | चमोली |
| 20 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनी | रुद्रपयाग |
| 21 | राजकीय महाविद्यालय जखोली | रुद्रपयाग |
| 22 | राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग | रुद्रपयाग |
| 23 | राजकीय महाविद्यालय गुप्तकाशी | रुद्रपयाग |
| 24 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी | उत्तरकाशी |
| 25 | राजकीय महाविद्यालय बड़कोट | उत्तरकाशी |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | राजकीय महाविद्यालय पुरोला | उत्तरकाशी |
| 27 | राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ | उत्तरकाशी |
| 28 | राजकीय महाविद्यालय ब्रहमखाल | उत्तरकाशी |
| 29 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी | टिहरी |
| 30 | राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग | टिहरी |
| 31 | राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा | टिहरी |
| 32 | राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी | टिहरी |
| 33 | राजकीय महाविद्यालय पौखाल | टिहरी |
| 34 | राजकीय महाविद्यालय नैनबाग | टिहरी |
| 35 | राजकीय महाविद्यालय लम्बगांव | टिहरी |
| 36 | राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्रनगर | टिहरी |
| 37 | राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ | टिहरी |
| 38 | राजकीय महाविद्यालय पावकीदेवी | टिहरी |
| 39 | राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्वीली | टिहरी |
| 40 | राजकीय महाविद्यालय कमान्द | टिहरी |
| 41 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर | देहरादून |
| 42 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला | देहरादून |
| 43 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर | देहरादून |
| 44 | राजकीय महाविद्यालय चकराता | देहरादून |
| 45 | राजकीय महाविद्यालय त्यूनी | देहरादून |
| 46 | राजकीय महाविद्यालय लक्सर | हरिद्वार |
| 47 | राजकीय महाविद्यालय मंगलौर | हरिद्वार |
| 48 | राजकीय महाविद्यालय मरगूबपुर | हरिद्वार |
| 49 | राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला | हरिद्वार |
| 50 | राजकीय महाविद्यालय खानपुर | हरिद्वार |

## श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0एड0 संस्थान

| क्रमांक | बी0एड0 कालेज का नाम | जनपद |
|---|---|---|
| | **निजी स्ववित्त पोषित संस्थान** | |
| 1 | हिमालयन इं आफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलाजी | चमोली |
| 2 | एस0जी0बी0जी0 कालेज आफ एजूकेशन | चमोली |
| 3 | पिट्स बी0एड0 कालेज भटवाड़ी | उत्तरकाशी |
| 4 | अश्वथामा कालेज आफ टीचर एजूकेशन | देहरादून |
| 5 | जगन्नाथ विश्व कालेज आफ एजूकेशन | देहरादून |
| 6 | मायादेवी एजूकेशन फाउण्डेशन | देहरादून |
| 7 | निम्बस स्कूल आफ एजूकेशन | देहरादून |
| 8 | नार्दन इं0 आफ मैंनेजमैंट स्टडीज | देहरादून |
| 9 | बीहाइव कालेज आफ मैंनेमेंट एण्ड टैक्नोलाजी | देहरादून |
| 10 | ब्लू माउंटेन कालेज आफ टीचर एजूकेशन | देहरादून |
| 11 | एस0बी0 कालेज आफ एजूकेशन | देहरादून |
| 12 | शिवालिक इं0 आफ प्रोफशनल स्टडीज | देहरादून |
| 13 | सनराइज एकेडमी मैंनजमैंट सोसाइटी | देहरादून |
| 14 | अरिहन्त एजूकेशन सोसाइटी | हरिद्वार |
| 15 | अरोमा गर्ल्स कालेज | हरिद्वार |
| 16 | आर्य कालेज आफ एजूकेशन | हरिद्वार |
| 17 | आशा एकेडमी | हरिद्वार |
| 18 | बी0एस0एम0 (महिला) बी0एड0 कालेज रुड़की | हरिद्वार |
| 19 | चौ0 भरत सिंह इं0 आफ टीचर एजूकेशन | हरिद्वार |
| 20 | हरीष चन्द्र रामकली बी0एड0 कालेज | हरिद्वार |
| 21 | हर्ष विद्या मन्दिर कालेज आफ एजूकेशन | हरिद्वार |
| 22 | नार्दन इण्डिया कालेज आफ एजूकेशन | हरिद्वार |
| 23 | ओम बायो साइंस एण्ड फार्मा कालेज आफ एजूकेशन | हरिद्वार |
| 24 | फोनिक्स ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन | हरिद्वार |
| 25 | आर0सी0पी0 इं0 आफ एजूकेशन | हरिद्वार |
| 26 | रिम्स कालेज | हरिद्वार |
| 27 | रुड़की कालेज आफ एजूकेशन | हरिद्वार |
| 28 | विद्यावती कालेज आफ एजकेशन | हरिद्वार |
| | **राजकीय एवं राजकीय स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थान** | |
| 29 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर | चमोली |
| 30 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार | पौड़ी |
| 31 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनी | रुद्रप्रयाग |
| 32 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर | देहरादून |
| 33 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी | उत्तरकाशी |
| 34 | राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल | पौड़ी |
| 35 | राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा | पौड़ी |
| 36 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल | पौड़ी |

## श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी स्ववित्त पोषित संस्थान

| क्रमांक | संस्थान का नाम |
|---|---|
| 1 | चमन लाल महाविद्यालय, मंगलौर, जिला हरिद्वार। |
| 2 | दून (पी0जी0) कालेज आफ एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड साइन्सेज, सेलाकुई देहरादून |
| 3 | ग्रीन वे इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, रूड़की। |
| 4 | बाबा फरीद ग्रुप आफ इन्स्टीटयूट आफ साइन्स एण्ड रिसर्च, सुद्धोवाला देहरादून |
| 5 | राघोमल ओमप्रकाश गोयल डिग्री कालेज, भगवानपुर, रूडकी। |
| 6 | हरिओम सरस्वती डिग्री कालेज, धनौरी, हरिद्वार। |
| 7 | मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी, देहरादून। |
| 8 | मैथोडिस्ट गर्ल्स कालेज, सिविल लाईन, रूड़की। |
| 9 | कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी, लक्सर, हरिद्वार। |
| 10 | विद्या विकासिनी कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट गुरूकुल नारसन– हरिद्वार। |
| 11 | सिटी डिग्री कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्लोलाजी, रूड़की– हरिद्वार। |
| 12 | हर्ष विद्या मंदिर (पी0जी0)कालेज, रायसी– हरिद्वार। |
| 13 | उत्तरांचल कालेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलाजी, नागल हटनाला, देहरादून। |
| 14 | एस0बी0 कालेज आफ एजूकेशन, विकासनगर देहरादून। |
| 15 | अल्पाइन इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी, प्रेमनगर देहरादून। |
| 16 | हिमालयन इन्स्टीटयूट आफ फार्मेसी रिसर्च, राजावाला, देहरादून। |
| 17 | ब्लू मांउटेन कालेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, धोरन खास, देहरादून। |
| 18 | आई0एम0एस0, रूड़की, हरिद्वार। |
| 19 | विशम्बर सहाय पी0जी0 इन्स्टीटयूट, रूड़की, हरिद्वार। |
| 20 | माया कालेज आफ एग्रीकल्चर, सेलाकुई, देहरादून। |
| 21 | रूबराज इन्स्टीटयूट आफ एडवांस स्टडीज, हरिद्वार। |
| 22 | अरोमा कालेज, रूड़की, हरिद्वार। |
| 23 | फेरूपुर डिग्री कालेज, धनपुरा, हरिद्वार। |
| 24 | उत्तरांचल कालेज ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड बायोमेडिकल सांइसेज, सेवलाखुर्द, देहरादून। |
| 25 | फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, रूड़की। |
| 26 | हिमगिरी डिग्री कालेज, रूड़की। |
| 27 | बीहाईव कालेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी, सेलाकुई, देहरादून। |
| 28 | श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्रेमनगर, देहरादून। |
| 29 | बीहाइव कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, सेलाकुई देहरादून। |
| 30 | पिट्स बी0एड0 कालेज उत्तरकाशी। |
| 31 | हरिशचन्द्र रामकली बी0एड0 कालेज, बसेढ़ी लक्सर, हरिद्वार। |
| 32 | एच0आई0ई0टी0, जिलासू चमोली। |
| 33 | निम्बस स्कूल ऑफ एजुकेषन, विकासनगर, देहरादून। |
| 34 | बी0एस0एम0 (महिला) बी0एड0 कालेज रूडकी, हरिद्वार। |
| 35 | रिम्स कालेज, ढाहीयाकी, गुरूकुल नारसन रूड़की हरिद्वार। |

| | |
|---|---|
| 36 | आशा एकेडमी, रहमतपुर रूडकी, हरिद्वार। |
| 37 | आर्यन कालेज ऑफ एजुकेशन, देवबंद रोड़, मुण्डत रूडकी हरिद्वार। |
| 38 | अश्वथामा कालेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून। |
| 39 | जगन्नाथ विश्वा कालेज ऑफ एजुकेशन, मांजरी ग्रांट, डोईवाला। |
| 40 | सनराईज एकेडमी रायपुर रोड, देहरादून। |
| 41 | नार्दन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, झाझरा, प्रेमनगर, देहरादून। |
| 42 | ओम बायो सांइस एण्ड फार्मा कालेज, दौलतपुर, रूड़की। |
| 43 | एस0जी0बी0जी0 मैमोरियल कालेज ऑफ एजुकेषन, मुण्डोली, देवाल चमोली। |
| 44 | आर0सी0पी0 इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, किशनपुर भगवानपुर रूडकी, हरिद्वार। |
| 45 | नार्दन इंडिया कालेज ऑफ एजुकेशन, बडढ़ी राजपुताना, हरिद्वार। |
| 46 | रूडकी कालेज ऑफ एजुकेशन शेरपुर खेलमऊ, रूडकी, हरिद्वार। |
| 47 | चौ0 भरत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, झबरेड़ा, हरिद्वार। |
| 48 | अरिहन्त एजुकेशनल सोसायटी, शन्तेरशाह, दौलतपुर, हरिद्वार। |
| 49 | पिट्स बी0एड0 कालेज, भटवाड़ी, उत्तरकाषी। |
| 50 | विद्यावती कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, रूहालकी, दयालपुर, रूड़की, हरिद्वार। |
| 51 | क्वान्टम स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज, रूड़की। |
| 52 | दून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिर्सच, श्यामपुर, ऋशिकेश, देहरादून। |
| 53 | एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी, मंगलौर, लढौरा रोड़, भगवानपुर, चंदनपुर, हरिद्वार। |
| 54 | इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी, 09 ओल्ड सर्वे रोड़, दिलाराम बाजार, राजपुर रोड़, देहरादून। |
| 55 | सरस्वती इं0 आफ मैंनेजमैट रामनगर रुड़की |
| 56 | रूड़की बिजनेस स्कूल, हरिद्वार। |
| 57 | दून बिजनेस स्कूल सेलाकुई, देहरादून। |
| 58 | ओमवती देवी डिग्री कालेज, भलसवागाज, हरिद्वार। |
| 59 | सौगत्सेन लाइब्रेरी, देहरादून। |
| 60 | श्री गुरू राम राय पी0जी0 कालेज, देहरादून। |
| 61 | कालेज ऑफ इंजीनियरिगं रूड़की। |
| 62 | ओमकारानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी, ऋषिकेश। |
| 63 | आशादेई डिग्री कालेज, भोगपुर, हरिद्वार। |
| 64 | इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, चकराता रोड़, देहरादून। |
| 65 | एस0बी0एन0 डिग्री कालेज, लक्सर रोड़ हरिद्वार। |
| 66 | व्यापार मण्डल कन्या पी0जी0 कालेज, हरिद्वार। |
| 67 | स्वामी विवेकानन्द कालेज ऑफ एजुकेशन, रूड़की, हरिद्वार। |
| 68 | ए0एफ0सी0आई0 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज, जाजल, खाड़ी। |
| 69 | द्रोणाचार्य कालेज ऑफ मैनेजमेंट, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून। |
| 70 | अरोमा कालेज रूड़की। |
| 71 | डी0डी0 कालेज, निम्बूवाला, गढ़ी कैन्ट, देहरादून। |
| 72 | सरस्वती प्रोफेशनल डिग्री कालेज, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार। |

| | |
|---|---|
| 73 | कुन्ती नमन इंस्टीट्यूट, हरिद्वार। |
| 74 | केल्विन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी, इन्दिरा नगर, देहरादून। |
| 75 | जीवन ज्योति कालेज ऑफ कामर्स, पंडित वाड़ी, देहरादून। |
| 76 | देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चकराता रोड़, देहरादून। |
| 77 | पायलट बाबा इंस्टीट्यूट हरिद्वार। |
| 78 | शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, देहरादून। |
| 79 | सांई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड अलाईड साइंस, राजपुर रोड़, देहरादून। |
| 80 | सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, रूड़की। |
| 81 | भारतीय महाविद्यालय, रूडकी। |
| 82 | श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, निरंजनपुर, सहारनपुर रोड़, देहरादून। |
| 83 | महादेवी इस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, 10 न्यू रोड़, देहरादून। |
| 84 | एस0जी0आर0आर0 इं0 आफ टैक्नोलाजी एण्ड साइंस पटेलनगर देहरादून |
| 85 | तुलाज इं0 धूलकोट देहरादून |
| 86 | जे0बी0आई0 कालेज आफ एप्लाइड साइंस शंकरपुर देहरादून |
| 87 | उत्तरांचल इं0 आफ हास्पीटेलिटी मोहकमपुर देहरादून |
| 88 | हिमालयन इन्स्टीटयूट आफ टैक्नालाजी, मालदेवता रायपुर देहरादून। |
| 89 | दून (पी0जी0) कालेज आफ एग्रीकल्चर साइन्स एण्ड टैक्नालाजी, सेलाकुई देहरादून। |
| 90 | दून इं0 आफ एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड साइंस शंकरपुर देहरादून। |
| 91 | रुड़की कालेज रुड़की हरिद्वार कैनाल रोड हरिद्वार। |
| 92 | देहरादून इं0 आफ मैनेजमैंट एण्ड टैक्नालाजी सेलाकुई। |
| 93 | अमृत कालेज आफ एजूकेशन धनौरी हरिद्वार। |
| 94 | सहकारी प्रबन्ध संस्थान राजपुर देहरादून। |
| 95 | महावीर इन्फोटैक इं0 आफ मैंजेनमेंट एण्ड टैक्नौलाजी विकासनगर हरिद्वार। |
| 96 | स्वामी दर्शानन्द इं0 आफ मैंनेजमैंट हरिद्वार |
| 97 | लैण्डमार्क फाउण्डेशन इ0 आफ मैंनेजमैंट वसन्त विहार देहरादून। |
| 98 | डी0बी0एस0 पी0जी0 कालेज देहरादून |
| 99 | स्वामी पूर्णानन्द डिग्री कालज मुनिकीरेती ऋषिकेश देहरादून। |
| 100 | देहरादून टैक्नीकल एण्ड मैनेजमैट कालेज विकासनगर देहरादून। |
| 101 | जसपाल राणा इं0 आफ एजकेशन पौंधा देहरादून |
| 102 | आइडियल बिजनेस स्कूल मैगलौर हरिद्वार |
| 103 | द्रोणा कालेज आफ मैंनेजमेंट एण्ड टैक्नालाजी सुभाष रोड देहरादून |
| 104 | राजकमल साइसं एण्ड मैनेजमैंट कालेज बहादराबाद हरिद्वार। |
| 105 | महेन्द्र सिंह डिग्री कालेज बिहारीगढ़ हरिद्वार। |
| 106 | पैट्रीशियन कालेज राजपुर रोड देहरादून। |
| 107 | श्रीजा कालेज केदारपुर मोथरावाला देहरादून। |
| 108 | एच0ई0सी0 ग्रुप आफ इंस्टीट्युशन्स जगजीतपुर हरिद्वार। |
| 109 | कुंवरप्रभा डिग्री कालेज लालढांग हरिद्वार। |

# विश्वविद्यालय के अधिकारी

| क्रम0सं0 | अधिकारी का नाम | पद | दूरभाष सं0 |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ0 यू0एस0 रावत | कुलपति | 9411335555 |
| 2. | डॉ0 दीपक भट्ट | कुलसचिव | 9412029370 |
| 3. | श्री दिनेश चन्द्र | उप कुलसचिव | 8859012121 |
| 4. | श्रीमती स्मृति खण्डूडी | वित्ताधिकारी | 9412907625 |
| 5. | श्री विमल कुमार मिश्र | सहायक कुलसचिव(वित्त) | 9411729971 |
| 6. | डा0 हेमन्त बिष्ट | सहायक परीक्षा नियंत्रक(व्यावसायिक परीक्षा) | 7088101141 |
| 7. | डा0 बी0 एल0 आर्य | सहायक परीक्षा नियंत्रक(मुख्य परीक्षा) | 7088101142 |